संचालनालय महिला विकास विभाग
मंत्रालय परिसर, ंस हॉस्टल,
रायपुर, छत्तीसगढ़

--::आदेश::--

रायपुर, दिनांक 10/12/2010

क्रमांक/68-बी/3436/मबावि/सावि/2010 छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 23/5/03 पंजीकृत शिवमंगल शिक्षण समिति, ग्राम-सैदा सकरी, तहसील तखतपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पंजीयन क्रमांक 1370, दिनांक 23.05.2003 को मान्यता संबंधी शर्तो को पूरा करने तथा कलेक्टर बिलासपुर एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास रायपुर छत्तीसगढ़ में गठित स्कींनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर अधोलिखित शर्तो के अधीन विभागीय मान्यता प्रदान की जाती है :-

1. संस्था अपनी प्रभावक सेवा कार्य की व्यापक्ता, संस्था द्वारा रखे गये कर्मचारी वर्ग तथा उनके सीधे और तात्कालिक नियंत्रण में रहने वाले हितग्राहियों का अनुशासन बनाये रखेगी ।
2. संस्था वित्तीय व्यवहार के लेखा की नियममित्ता तथा विश्वसनीयता बनाये रखेगी । संस्था विवरणों एवं प्रतिवेदनों की मांगों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों की उचित परिशुद्धता तथा शीघ्रता से पालन करेगी तथा विभाग द्वारा निर्धारित पंजियों तथा अभिलेखों का उचित ढंग से संधारण एवं निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
3. संस्था अपने नियमों, विनियमों एवं संविधान का व्यवस्थित रीति से अनुसरण करेगी ।
4. संस्था महिला एवं बाल कल्याण हेतु जाति, धर्म, वर्ग, भाषा के भेदभाव के बिना राजनीति से परे रहकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए विभागांतर्गत वीहित प्रदत्त योजनाएं संचालित करेगी ।
5. संस्था जनहित राष्ट्रहित एवं शासन के हितों एवं निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगी ।
6. संस्था पर कलेक्टर/जिला कार्यक्रम आधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का भी प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा ।
7. संस्था मान्यता की शर्तो एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास बिलासपुर द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी

8. संस्था द्वारा विभागीय मान्यता अन्तर्गत निहित उद्देश्यों की पूर्ति न करने एवं अनियमित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा मान्यता निरस्त की जा सकेगी ।
9. संस्था प्रतिवर्ष अपनी गतिविधियों का प्रतिवेदन तथा अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन दस्तावेज विभाग को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगी । ऐसा न किये जाने की दशा में मान्यता समाप्त की जा सकेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(सी.एस.लाल.)
संयुक्त संचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.कमांक/68-बी/ 3437 /मबावि/सावि/2010-11 रायपुर, दिनांक 10/12/2010

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला-बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । महिला बाल विकास विभाग के अनुदान नियम के प्रावधानों के अधीन संस्था का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें ।
3. अध्यक्ष, शिवमंगल शिक्षण समिति, डी-3 शिवमंगल भवन, सोनगंगा कॉलोनी, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त संचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़